तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..1/25	अनुज्ञप्ति मिलान पुस्तक से किया उसका [illegible] सुनाया गया, आवेदक को [illegible] [illegible] अनुसार [illegible] कार्य पूर्ति दर्ज रजिस्टर इन्द्राज हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:50:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
83 / दावा / 2018	30.07.2018	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

श्रीमती दुर्गीबाई पुत्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम करजुना तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–वादियां

–बनाम–

1. रामनाथ आत्मज श्री देवा जाति माली निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. पवन
3. राजू
4. बंशी पिसरान रामनाथ जातियान माली निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद–अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
बाबत् बेदखली–कब्जा दिलाये जाने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–28.01.2025

उपस्थित– वादीयां की ओर से एडवोकेट श्री रामदत्त शर्मा।
प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रामगोपाल गुर्जर।

वाद–पत्र वादियां द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खतानी संख्या नई 33 पुरानी 28 की कृषि भूमि खसरा संख्या 347 / 302 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम करजुना पटवार हल्का महरामपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जो वादिनी के खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही हैं। प्रतिवादीगण की जमीन उक्त वादिनी के जमीन के समीपवर्ती है। प्रतिवादीगण की नियत मे अंतर आ जाने के कारण उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करने की चेष्टा हमेशा से ही रही है। पूर्व मे कई बार कब्जा करने की चेष्टा की गयी लेकिन वादिनी के द्वारा प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने दिया। आज से 2 वर्ष पूर्व प्रति[illegible] नियत को साकार करते हुए वादिनी की अनुपस्थिति मे उक्त भूमि पर कब्जा कर [illegible] का स्वरूप बदलते हुए उक्त जमीन को अपनी समीपवर्ती जमीन मे शामिल [illegible] प्रतिवादीगण को वादिनी द्वारा इस बात का आलमा दिया गया [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] यहा पर तुम्हारी कोई जमीन नही है और सारी [illegible] किया है और तुम्हारे मन मे आवे जो करो। इस जमीन पर [illegible] द्वारा वाद पत्र मे इत्यादि अंकित कर निवेदन किया वादिया का वाद स्वीकार कि[illegible] जावे तथा निम्न प्रकार से डिक्री पारित फरमाई जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 347 / 302 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम करजुना पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे तथा उक्त आराजी पर वादिनी को पुन: कब्जा दिलाया जावे। वादिनी को प्रतिवादीगण से काबिज अवधि से मिन प्रोफिट

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:50:06 IST
Reason: SelfAttested

40000/–रू0 प्रतिवर्ष दिलाया जावें। वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायत प्रदान की जावें।

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया।

वादियां द्वारा साक्ष्य में स्वयं व गवाह महोदव, कंवरलाल के शपथपत्र पेश किये और बयान करवायें। साथ ही साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1, ताजा जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 करवायें।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वादियां द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरे खाते की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया हैं और वादिया को उसके खातेदारी की भूमि पर खेती नहीं करने दे रहे हैं तथा तकाजा करने पर लडाई–झगडे पर आमादा होते हैं। विवादित आराजी वादियां के खातेदारी अधिकार की भूमि हैं और वादियां को अधिकार प्राप्त हैं कि वह विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करें। इसलिये श्रीमान् से निवेदन हैं कि वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को मेरी भूमि से बेदखल करवाये और मेरी भूमि का कब्जा पुनः मुझे सम्भलावें। प्रतिवादीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी प्रदर्श–2 सम्वत् 2076 ग्राम करजूना तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के खाता संख्या 33 पुराना 28 की आराजी खसरा संख्या 347/302 रकबा 0.1999 है0 किस्म बारानी तृतीय वादियां के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड हैं। पत्रावली में प्रतिवादीगण उपस्थित तो हुए किन्तु उनके द्वारा वादियां के वाद का न तो जवाब दिया और न ही वादियां के कथनों का खण्डन किसी भी प्रकार किया, जिससे वादियां का वाद प्रमाणित होना प्रतीत होता हैं। वादियां विवादित आराजी की रेकार्डेड खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं और नियमानुसार उसे अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने खाते की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों को बेदखल करवाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करें। इस प्रकार वादियां का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद वादियां स्वीकार किया जाता हैं व विवादित आराजी खसरा संख्या 347/302 रकबा 0.1999 है0 किस्म बारानी तृतीय ग्राम करजूना तहसील व जिला बून्दी पर से आगामी फसल कटने उपरान्त कृषि भूमि रिक्त होने पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादियां को सम्भलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फरारे में शुमार होकर वाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरविन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:50:06 IST
Reason: SelfAttested